मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 18/04/2023

क्र. एफ 16-09/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद) में लगभग राशि रू. 150.00 करोड के पूंजी निवेश से इण्डस्ट्रियल मेडिकल गैस निर्माण परियोजना को पूर्व स्वीकृत समसंख्यक आदेश दिनांक 15/10/2020 से स्वीकृत सुविधा को निरस्त करते हुये निम्नानुसार सुविधायें दी जाती है :-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की समान दर पर 7 वर्षों में शर्तों के अध्याधीन दी जाये। प्लांट एवं मशीनरी अंतर्गत यंत्र एवं संयंत्र एवं शेड के साथ मध्यप्रदेश में स्थापित Vacuum Insulated Storage Tanks (VIST) को सहायता की गणना में सम्मिलित किया जाये। VIST में किए गए निवेश की अधिकतम सीमा रू. 15 करोड़ तक ही सहायता की गणना हेतु मान्य होगी।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से उपयोग की गई विद्युत के विरूद्ध Energy Charge के मद में विद्युत वितरण कंपनी को किये गये भुगतान एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितरण कंपनी हेतु निर्धारित Average Power Purchase Cost के अनुसार गणना की गई राशि के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति MPIDC द्वारा इकाई को की जायेगी। इस राशि की प्रतिपूर्ति, इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 2 वर्ष की अवधि अथवा MPIDC को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंस प्राप्त के पश्चात, यूनिट को विद्युत प्रदाय करने की दिनांक तक, जो अधिक हो, तक की जायेगी। MPIDC को डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेंस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह प्रतिपूर्ति अधिकतम 7 वर्षों तक की जायेगी।

3. परियोजना हेतु प्रतिबद्ध निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अनुमति दिनांक 30/06/2023 तक दी जाती है।

4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. एफ 16-09/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 18/04/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद) ।
4. कलेक्टर, जिला- नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद)।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा. लि. 7th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Basant Road, Worli Mumbai - 400018।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग